राजस्थान–सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

क्रमांकः एफ.61(24) ग्रावि. / म.न. / नि.सा.अ. / सा.अंके. कलै. / 19–20 / 6080 जयपुर दिनांक 3/2/22

(3 आदेश 2023 - 79)

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा),
समस्त।

विषयः–महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गत दो वर्ष 2019–20 से 2020–21 (प्रथम / द्वितीय छःमाही) तथा वर्ष 2021–22 (प्रथम छःमाही) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दो वर्षों (2019–20 से 2020–21) के सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम बाबत।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों का ग्राम सभा द्वारा संलग्न कलेण्डर में अंकित ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन दिनांक 3–9 मार्च 2022 के मध्य सम्पन्न कराने हेतु उचित कार्यवाही सम्पादित करावें। सामाजिक अंकेक्षण संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से भिजवाये जा रहे हैं।

<u>सामाजिक अंकेक्षण समिति हेतु ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण :–</u>

प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण दल में एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के नेतृत्व 5 ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा। इन ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा अपने निवास की ग्राम पंचायत से भिन्न ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा। **राजीविका स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, साथिनों, नेहरू युवा केन्द्र** के सदस्यों की सूचीयां सम संख्यक पत्रांक 6002–10 दिनांक 31.01.2022 जरिए ई मेल समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी हैं। इन लोगों में से एवं आपके जिले में कार्यरत स्वच्छताग्राहियों में से उपयुक्त व्यक्तियों का चयन दिनांक 7 फरवरी, 2022 तक कर सामाजिक अंकेक्षण समितियों का गठन किया जावे। सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम, 2020 (यथा संसोधित) की पालना करते हुए न्यूनतम 10वीं उतीर्ण लोगों को ग्राम संसाधन व्यक्ति और न्यूनतम स्नातक अथवा उच्चतर शिक्षित व्यक्तियों को ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के रूप में लिया जाना है। उपरोक्त ग्राम एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन की सूची निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण के मेल आई डी **DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN** पर दिनांक 8.2.2022 तक आवश्यक रूप से भिजवावें।

इनका प्रशिक्षण इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के द्वारा ऑन लाईन (VC) माध्यम से दिनांक 10 एवं 11 फरवरी, 2022 को सम्पादित किया जावेगा। प्रशिक्षण बाबत अन्य विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से भिजवाये जा रहे हैं।

संलग्न– सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर्स

(रामावतार शर्मा)
निदेशक,SSAAT

क्रमांक एफ.61(24) सामाजिक अंकेक्षण/2020-21/6081-93 जयपुर दिनांक 7/2/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान।
6. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त को पालनार्थ।
9. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त को पालनार्थ।
10. लेखाधिकारी,(प्रशासन)/लेखाधिकारी(सामा.अंके.), सहायक लेखाधिकारी (समस्त)/कनिष्ठ लेखाकार (समस्त) एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एव पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को पालनार्थ।
11. प्रोग्रामर/सूचना सहायक, SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश को सोसायटी की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
12. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, ग्रामीण विकास विभाग
13. रक्षित पत्रावली।

(जुगल किशोर)
लेखाधिकारी,
सामाजिक लेखा परीक्षा
जवाबदेही एवं पारदर्शिता
सोसायटी (SSAAT)